न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
223/2023	13.06.2023	30.01.2024

उनवान

1. महाराम पुत्र चूना बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

1. मांगू पुत्र हेमा बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. अम्बालाल पिता हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
3. उदी पुत्री हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
4. चान्दी पुत्री हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
5. नाराण पुत्र हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
6. बदाम पुत्री हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
7. मोना पुत्री हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
8. शम्भूलाल पुत्र हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
9. सुखदेव पुत्र हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
10. गंगा पत्नी स्व0 रूगनाथ बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
11. गोपाल पुत्र स्व0 रूगनाथ बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
12. दयाल पुत्र स्व0 रूगनाथ बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
13. देवी पुत्री स्व0 रूगनाथ बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
14. सोहन पुत्र स्व0 रूगनाथ बैरवा उम्र वयस्क निवासी पाटनिया पटवार हल्का दांथल, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

14. कन्ना पुत्र देवी भील उम्र वयस्क निवासी हरदेवपुरा तह० बनेड़ा व जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

उपस्थित —अधिवक्ता प्रार्थी विकास जायसवाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पटनिया प0ह0 दान्थल भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 136 की अभिलिखित आराजियात 174 / 18, कुल किता 01 कुल रकबा 2.5290 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा